

भाग-5

**आखिर क्यों खामोश है
जे.डी.ए. के
मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक
श्री रघुवीर प्रसाद सैनी??**

**आखिर जे.डी.ए.
160 फीट चौड़ी टोंक रोड
और निगम तिराहे के
विकास में बाधक बन रहे, इस
अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही
क्यों नहीं कर रहा??**

नगर निगम, टोंक रोड के सामने शहर के अति-व्यस्त तिराहे पर हरे तिरपाल की आड़ में भूखंड संख्या SB-107 बापूनगर के सम्पूर्ण सेटबैक की जमीन पर हो रहा है यह अवैध निर्माण!!!

क्या यह अवैध निर्माण 160 फीट चौड़ी टोंक रोड के निर्माण में बाधक नहीं है?

शहर की प्रमुख सड़कों में से एक टोंक रोड का रखरखाव जे.डी.ए. के पास है। जे.डी.ए. के प्लान के अनुसार टोंक रोड की चौड़ाई 160 फीट है, इस हिसाब से जहाँ पर यह भूखंड है वहाँ पर रोड के दोनों ओर से 10 -10 फीट रोड को चौड़ा किया जाना है, जिसके अनुसार भूखंड संख्या SB-107 के सेटबैक की जमीन पर हो रहा, यह अवैध निर्माण पूरी तरह से 160 फीट की सड़क सीमा में आ रहा है। यदि समय रहते इस अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया तो भविष्य में यातायात की गंभीर समस्या इस तिराहे पर खड़ी हो जाएगी। अतः इस अवैध निर्माण को व्यापक जन हित में तोड़ा जाना अति-आवश्यक है।

जब जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर प्रसाद सैनी इस व्यस्ततम तिराहे पर स्थित UDB बिल्डर जैसे रसूखदार व्यक्ति की बिल्डिंग में हो रहे अतिक्रमणों को हटा सकते हैं तो इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे?

आपको याद होगा कि जे.डी.ए. द्वारा, जयपुर शहर की प्रमुख सड़कों की सीमा में हो रहे अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों को हटाने का विशेष अभियान शुरू किया गया था। इस विशेष अभियान में नगर निगम के सामने स्थित इस व्यस्ततम तिराहे पर स्थित UDB बिल्डर के हेड ऑफिस की बिल्डिंग के अवैध निर्माणों को जो कि, टोंक रोड की सड़क सीमा में आ रहे थे, को तोड़कर, सड़क को चौड़ा किया गया था। सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी शिकायतों के बावजूद जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर प्रसाद सैनी इस अवैध निर्माण को हटाने में असमर्थ कैसे नजर आ रहे हैं? क्या यह अवैध निर्माणकर्ता UDB बिल्डर से भी ज्यादा रसूखदार है?

राशि रत्नों की दुनिया का बेताज बादशाह है इस अवैध निर्माण का मालिक, इस जगह बनाया जाएगा विशाल और भव्य राशि रत्नों का शोरूम।

जानकारों के अनुसार इस अवैध भूखंड का मालिक राशि रत्नों की दुनिया का बेताज बादशाह है, आये दिन जिसकी फोटो और खबरें अखबारों की सुर्खियाँ बनती रहती हैं। इस सफेदपोश अवैध निर्माणकर्ता का इरादा इस जगह पर विशाल और भव्य राशि रत्नों का शोरूम बनाने का है। इस अवैध निर्माणकर्ता के शुभचिंतकों में चारदीवारी क्षेत्र से आने वाले विधायक, एक मेयर प्रत्याशी के पति, एक बड़ी बेकरी के मालिक के साथ साथ दोनों प्रमुख राजनैतिक पार्टियों के कई कद्दावर नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने इस अवैध निर्माण को लगातार शह दी है, जिसके बदले इस मामले में बड़ी रकम भी खर्च की गयी है।

कौन है इस अवैध निर्माण का ठेका लेने वाला शरद चौधरी?

जानकारों के अनुसार इस अवैध निर्माण को करवाने का ठेका शरद चौधरी नाम के ठेकेदार ने लिया है, यही ठेकेदार नगर निगम, जे.डी.ए. में अपनी पैठ के बल पर अधिकारियों को मैनेज करने का काम करता है जिससे इस अवैध निर्माण पर कोई आंच नहीं आये। इसी ठेकेदार की राय पर कुछ समय तक के लिए (जब तक कि यह मामला ठंडा नहीं हो जाए), इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण रोक दिया गया है।

नगरीय विकास विभाग के स्पष्ट आदेश, भूखंडों के पुनर्विभाजन और पुनर्गठन के मामलों में मूल भूखंड के सेटबैक प्रभावी

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किये गए हैं कि भूखंडों के पुनर्विभाजन और पुनर्गठन के मामलों में मूल भूखंड के सेटबैक नियम ही प्रभावी रहेंगे। परन्तु इस भूखंड के मामले में तो यह विवादित निर्माण मूल भूखंड के सेटबैक की जमीन पर करवाया जा रहा है जो कि नियमानुसार अवैध की श्रेणी में आता है, परन्तु सबकुछ जानते हुए भी इस मामले में लगातार जिम्मेदार अधिकारी सक्षम न्यायालय और निगम प्रशासन को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं।